बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
::आदेश::

पटना, दिनांक– 20/03/26

संचिका संख्या–07/प्राधि–02–13/2023.....1109...../राज्य अपीलीय प्राधिकार में दाखिल Token No Application/189/2023 श्री देवेन्द्र कुमार यादव एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक–27.06.2023 को पारित आदेश के आलोक में विभागीय आदेश निर्गत किया जा रहा है।

Token No Application/189/2023 श्री देवेन्द्र कुमार यादव एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में राज्य अपीलीय प्राधिकार में दिनांक 27.06.2023 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् हैः–

"...Thus, the appellant had been directed to file a representation before Director, Primary Education, who has been directed to dispose it of within two months..."

राज्य अपीलीय प्राधिकार के उक्त आदेश के अनुपालनार्थ उक्त वाद के वादीगणों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विभागीय पत्रांक–687 दिनांक–04.03.2025 द्वारा दिनांक–17.03.2025 को सुनवाई की तिथि निर्धारित करते हुए इनको पक्ष रखने हेतु निदेशित किया गया। निर्धारित अवधि के अन्दर वादीगण के द्वारा उपस्थित होकर अभिलेख/साक्ष्य कार्यालय को उपलब्ध कराया गया। वादीगण द्वारा उपलब्ध कराये गए अभिलेख से निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित होते हैः–

क्र0 सं0	वादी का नाम	नियुक्ति तिथि	बी0एड0 उत्तीर्णता तिथि	विशेष प्रशिक्षण उत्तीर्णता तिथि
1	श्री देवेन्द्र कुमार यादव	11.02.2014	20.09.2013	26.12.2019
2	श्री शैलेश कुमार सिंह	21.07.2014	17.08.2010	26.12.2019
3	श्री सुनील कुमार	11.02.2014	13.05.2009	26.12.2019
4	श्री अभिषेक बहादुर सिंह	21.07.2014	18.12.2008	11.06.2019
5	श्री प्रशान्त कुमार सिंह	10.02.2014	13.08.2009	26.12.2019

वादीगण का कथन है कि उनकी नियुक्ति वर्ष 2014 में बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2012 के अन्तर्गत अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप में हुआ। वर्ष 2014 से पूर्व वादीगण बी0एड0 की प्रशैक्षणिक उपाधि प्राप्त कर चुके थे। उक्त नियमावली के कंडिका–05 (ड.) के प्रावधान के अनुरूप वादीगण एन0आई0ओ0एस0 द्वारा आयोजित 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके है। वादीगण को छः माह का विशेष प्रशिक्षण उत्तीर्णता की तिथि 26.12.2019 से प्रशिक्षित का वेतनमान प्राप्त हो रहा है जबकि वादीगण का दावा है कि एल0पी0ए0 सं0– 1699/2013 (क्रांति कनक एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) के अपीलकर्ता के समरूप उन्हें भी प्रशिक्षण प्राप्त करने की तिथि (नियुक्ति तिथि 2014) से प्रशिक्षित का वेतनमान प्राप्त होना चाहिए।

5. अंकनीय है कि वादी के दावे को विभागीय आंतरिक समीक्षा के क्रम में यह बात सामने आयी कि वादी का मामला एल.पी.ए. संख्या–1699/2013 के वादीगणों से भिन्न है। इन दोनों में कोई भी सदृश्यता नहीं है। Token No Application/189/2023 के वादीगण का

नियोजन वर्ष 2014 में बिहार राज्य पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2012 के अंतर्गत किया गया जबकि एल.पी.ए. संख्या–1699/2013 के वादीगणों की नियुक्ति वर्ष 1999 से 2005 के बीच बिहार प्रारंभिक नियुक्ति नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) के अंतर्गत अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किया गया था। वर्ष 1999 में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था कि सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाय जिसके उपरांत इनके वेतनमान में वृद्धि किया जाना था। किन्हीं कारणों से मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत कुछ शिक्षकों को एक वर्षीय प्रशिक्षण में देर से भेजा गया जिस कारण उन्हें प्रशिक्षित वेतनमान प्रदान करने में विलम्ब हुआ था। यह बात एल.पी.ए. संख्या–1699/2013 में पारित न्यायादेश दिनांक–27.09.2016 से स्पष्ट है। इन वादीगणों को विलम्ब से वर्ष 2007–2009 तथा 2008–2010 में प्रशिक्षण हेतु नामांकित किया गया था जिसके कारण इनका प्रशिक्षण 2010 एवं 2011 में पूर्ण हो पाया। सामान्यतः प्रशिक्षणचर्या पूर्ण करने पर अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाना था परन्तु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा उक्त वर्णित प्रशिक्षण कार्यक्रम पर खेद जताया गया था जिसके उपरांत दिनांक–01.07.2011 को यह निर्णय लिया गया कि सभी डी.पी.ई. प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों को छः माह का विशेष समृद्ध कोर्स कराया जाय।

6. माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक–27.09.2016 को पारित न्यायादेश में यह बात अंकित की गई कि संबंधित वादीगण को विलंब से वर्ष 2014 में छः माह का विशेष संवर्द्धन कोर्स कराया गया जिस कारण उन्हें प्रशिक्षित वेतनमान प्रदान करने में और भी विलंब हुआ जिसमें संबंधित वादीगणों का कोई दोष नहीं था। अंततः इन वादीगणों को वर्ष 2014 में प्रशिक्षित वेतनमान दिया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा यह बात भी विशेष तौर पर अंकित की गई कि इन वादीगणों का कोई दोष न होने के कारण नियमावली 2011 के प्रावधानों के अनुरूप वरीयता का भी नुकसान हुआ। ऐसी परिस्थिति में संबंधित वादीगणों को प्रशिक्षण प्रदान करने में सरकार द्वारा किये गये विलंब के आधार पर इन वादीगणों के मामले में डी.पी.ई. प्रशिक्षण प्राप्त करने की तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान दिये जाने के आशय का न्यायादेश पारित किया गया था। यह न्यायादेश केवल संबंधित वादीगणों के विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखकर पारित किया गया था तथा यह आदेश सामान्य रूप से सभी मामलों में लागू नहीं होता है।

7. उक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद के वादीगण का नियोजन वर्ष 2014 में बी.एड. अप्रशिक्षित पंचायत शिक्षक के रूप में किया गया था तथा नियुक्ति के उपरांत इन्हें अप्रशिक्षित शिक्षक का वेतनमान दिया जा रहा था। बी.एड. अर्हता होने के पश्चात् वादी की नियुक्ति कक्षा 1 से 5 के शिक्षक के रूप में NCTE की अधिसूचना दिनांक–23.08.2010 के आलोक में की गई थी जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह भी प्रावधानित था कि बी.एड. योग्यता रखने वाले कक्षा 1 से 5 के अध्यापकों को प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त छः माह का विशेष प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। उक्त अधिसूचना दिनांक–23.08.2010 को NCTE की अधिसूचना दिनांक–28.06.2018 द्वारा संशोधित किया गया परन्तु बी.एड. योग्यताधारी शिक्षकों को छः माह का सेतु पाठ्यक्रम आवश्यक रूप से पूरा किये जाने का शर्त्त निर्धारित किया गया था।

8. NCTE द्वारा किये गये प्रावधानों से यह स्पष्ट होता है कि बी.एड. योग्यताधारी शिक्षकों को कक्षा 1 से 5 में नियुक्त किये जाने के क्रम में उन्हें छः माह का विशेष सेतु पाठ्यक्रम पूरा किया जाना आवश्यक है तथा NCTE की यह मंशा नहीं थी कि बी.एड. योग्यताधारी अभ्यर्थी केवल बी.एड. योग्यता के आधार पर ही कक्षा 1 से 5 में पठन-पाठन हेतु नियुक्त किये जाय। बी.एड. को डी.पी.ई. अथवा डी.एल.एड. के समरूप घोषित नहीं किया गया था। नियमावली 2012 में यह कहीं भी प्रावधानित नहीं है कि छः माह का संवर्द्धन कोर्स कर लेने के उपरांत संबंधित बी.एड. योग्यताधारी कक्षा 1 से 5 के शिक्षक को नियुक्ति की तिथि अथवा बी.एड. योग्यता प्राप्त करने की तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाय।

9. वादीगण के मामले के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि वादीगण का दावा प्रशिक्षणचर्या कार्यक्रम में विभाग द्वारा नामांकित कराये जाने के क्रम में हुए विलंब के आधार पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसा कोई विलंब परिलक्षित भी नहीं होता है। वादी द्वारा उनके समरूप किसी कनीय शिक्षक को उनके पूर्व प्रशिक्षित वेतनमान प्रदान किये जाने का कोई साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। वादी द्वारा उनका मामला एल.पी.ए. संख्या-1699/2013 के वादीगणों के समरूप होने का दावा किया गया जो कि आधार विहीन है। एल.पी.ए. संख्या-1699/2013 में पारित आदेश विशेष परिस्थिति में केवल संबंधित वादीगणों के मामले में लागु होता है न कि अन्य मामलों में।

10. उक्त परिप्रेक्ष्य में वादी का मामला एल.पी.ए. संख्या-1699/2013 के सदृश्य नहीं है तथा वादी का मामला एल.पी.ए. संख्या-1699/2013 के विशेष परिस्थिति में दिये गये निर्देश या लाभ से आच्छादित नहीं होता है। साथ ही सी०डब्लू०जे०सी० सं०-9416/2019 में दिनांक-04.03.2024 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में निर्गत विभागीय आदेश ज्ञापांक-1790 दिनांक-16.10.2024, जिसमें बी0एड0 योग्यताधारी अप्रशिक्षित शिक्षकों को छः माह का सेतु पाठ्यक्रम पूर्ण कर लेने पर नियुक्ति तिथि से प्रशिक्षित शिक्षक का वेतनमान प्रदान किया गया था, को पुनरीक्षित करते हुए विभागीय आदेश ज्ञापांक-1017 दिनांक-12.03.2026 द्वारा वादी के दावा को अस्वीकृत किया गया है।

अतएव उक्त अभिमत के साथ प्रस्तुत वाद के वादीगण के दावे को अस्वीकृत किया जाता है।

(विक्रम विरकर) 19/03/26
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांकः-07/प्राधि-02-13/2023....1109 **पटना, दिनांकः-**...20/03/26..

प्रतिलिपिः- जिला शिक्षा पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/03/26
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांकः-07/प्राधि-02-13/2023....1109 **पटना, दिनांकः-**...20/03/26..

प्रतिलिपिः-1. Devendra kumar Yadav s/o of Shree Mahendra Pratap Yadav, Priamary Teacher, NPS Vinobha Nagar, P.S- Adhaura, District-Kaimur (Bhabhua)

2. Shailesh kumar singh s/o of Shri Ram Buchan Singh, Primay Teacher, NPS Gangapur, P.S-Rampur, District-Kaimur (Bhabhua)

3. Sunil kumar s/o of Shri Khuslal Singh, Primary Teacher, NPS Mukarram purabpatti.

4. Abhishek Bahadhur Singh s/o of Shri Ajay kumar Singh, Primary Teacher, Primary School lurpurwa, P.S- Mohania, District-Kaimur (Bhabhua)

5. Prashant kumar singh, s/o of Shri Prahalad Singh, Primary Teacher, employed in Urdu Middle School, Adhaura, P.S- Adhaura, District-Kaimur (Bhabhua) को सूचनार्थ प्रेषित।

19/03/26

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांकः–07 / प्राधि–02–13 / 2023.....1105 **पटना, दिनांकः–**...20.03.26...

प्रतिलिपिः–आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/03/26

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा